न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 13 / 2022

उर्मिला पत्नी चन्द्रभान पुत्री धनीराम जाति खटीक निवासी बृजनगर कांलोनी, काकाजी कोठी के पास भरतपुर जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, तहसील बयाना।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 16.03.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है उर्मिला पत्नी चन्द्रभान पुत्री धनीराम जाति खटीक निवासी बृजनगर कांलोनी, काकाजी कोठी के पास भरतपुर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2022 से तहसीलदार बयाना से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी तहसीलदार बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 91 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा तहसीलदार बयाना से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार बयाना से पत्र कमांक एलआर / 2022 / 935 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार, बयाना ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार, बयाना से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने व अपील में वर्णित बिन्दुओं के सबंध में सूचना बाबत प्रार्थना की है। तहसीलदार, बयाना से प्राप्त जबाब पत्र कमांक एलआर / 2022 / 935 दिनांक 14.03.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बयाना ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र कमांक एलआर / 2022 / 516 दिनांक 10.02.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार बयाना से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर